भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 264
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

संविधान की समीक्षा

264. श्री सुशील कुमार सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग (एनसीआरडब्ल्यूसी) की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत और अस्वीकृत की गई अनुशंसाओं का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या समय की कसौटी पर खरा उतरने के लिए संविधान की आवश्यकता के बारे में गहन समझ प्राप्त करने के लिए संविधान के कार्यकरण की आवधिक समीक्षा की आवश्यकता महसूस की गई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या अन्य देश भी समय-समय पर ऐसा करते हैं ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (च) : राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग (एनसीआरडब्लूसी) ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 31 मार्च, 2002 को प्रस्तुत की थी । यह रिपोर्ट सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया गया था, जो सिफारिशों की विषय-वस्तु से प्रशासनिक रूप से संबंधित है ।अन्य देशों में संविधान की समीक्षा करने का कोई ब्यौरा नहीं रखा जाता है ।

****